

RCMS

6

फर्द अहकाम

निकाल
6/8/19

2019/80018

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

मजीर खां वल्द वचने खां
मिरासी सिणधरी चौकीरा

सिणधरी

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मु. नं० 6 सन्/2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/7/19	<p>पटवारी हल्का <u>सिणधरी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2076 में मौजा <u>सिणधरी</u> के खसरा संख्या <u>61</u> रकबा <u>0.04 बीघा</u> किस्म भूमि <u>गो. भू. गौचर</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर <u>का</u> कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>06/8/19</u> को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p>	
6/8/19	<p>पत्रावली पल्लुत हुई। गैर सायल उपस्थित। पटवारी हल्का उपस्थित। गैर सायल ने अपने कब्जे के लिए कोई विधि समत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। गैर सायल के गैर सायल गौचर के पत्रावली का बनावट</p>	<p>मजीर खां पटवारी</p>

तहसीलदार सिणधरी

अधिकृत करवा स्वीकार किया। अतः
उपर्युक्त के अधिकृत मानते हुए,
पत्रावली के सल सुमार है। निरर्थक
अलग से लिखा जाकर शाब्दिक -
पत्रावली है। निरर्थक सुले न्यायालय
के सुनाया गया। पत्रावली के सल
सुमार लेकर दाखिल इफतर है।

५
तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर